

कार्यालय— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम (म.प्र.)

क्रमांक : 01 / दो-2-1 / 2012-2023

रतलाम, दिनांक : 02.01.2024

कार्य विभाजन पत्रक

मैं राकेश मोहन प्रधान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 194 एवं 10(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवहार जिला एवं सत्र खण्ड रतलाम में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2024 के लिए प्रसारित करता हूँ:-

उक्त आदेश दिनांक 02.01.2024 से प्रभावशील होगा।

क्रं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार जिसका निराकरण किया जाना है।
1	2	3	4
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम (म.प्र.)	संपूर्ण सत्र खण्ड रतलाम	<ol style="list-style-type: none">1. सत्र प्रकरण2. आपराधिक रिवीजन, न्याय पंचायत की रिवीजन (जावरा एवं आलोट तहसील से उत्पन्न रिवीजन को छोड़कर)3. आपराधिक अपील (जावरा एवं आलोट तहसील क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली अपील को छोड़कर)4. दं.प्र.सं. की धारा 199 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।5. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 एवं 439 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र (जावरा एवं आलोट तहसील क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवेदन पत्रों को छोड़कर)।6. दं.प्र.सं. की धारा 341 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें।7. विविध अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण व अन्य प्रकरण जो कार्यविभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये हैं।8. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की अपीले

	<p>जिला रतलाम एवं तहसील सैलाना (जावरा एवं आलोट तहसील को छोड़कर)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. रूपये 1,00,00,000/- (रु. एक करोड़) तक के मूल्य के दावों में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं वर्ग-2 रतलाम, व सैलाना के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध नियमित अपीलें धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत। 2. स्थानीय एवं विशेष विधि के अन्तर्गत प्रस्तुत विविध अपील व निर्वाचन याचिकाएँ। 3. रूपये 1,00,00,000/- (रु. एक करोड़) से अधिक मूल्य के सांपत्तिक वाद तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 4. मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत रतलाम तहसील के आरक्षी केन्द्र, स्टेशन रोड, औद्योगिक क्षेत्र, माणक चौक, दीनदयाल नगर, शासकीय रेल्वे पुलिस रतलाम, नामली बिलपाक, सैलाना, बाजना, रावटी, शिवगढ़ एवं सरवन की सीमाओं में दुर्घटना में मृत्यु से संबंधित समस्त क्लेम प्रकरण एवं रतलाम जिले के निवासी (जावरा, पिपलौदा एवं आलोट तहसील में निवास करने वाले व्यक्तियों को छोड़कर) जिनके साथ अन्य जिलों में घटित दुर्घटना में मृत्यु से संबंधित समस्त क्लेम दावा प्रकरण। 5. व्य.प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। 6. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 से उद्भूत चुनाव याचिकाएं एवं उनसे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियां 7. सिविल जिला रतलाम की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग एवं दावों का विचारण एवं इनसे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु विशेष न्यायालय। 8. रतलाम मुख्यालय के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड के न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध आदेश 43 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रस्तुत विविध अपीले एवं इनसे संबंधित अनुषांगिक कार्यवाहिया। 9. आदेश 43 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खंड सैलाना के न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत विविध अपील। 10. इनसाल्वेन्सी एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया।
--	---	--

2	अनन्य विशेष न्यायाधीश, (एट्रोसिटी एक्ट) एवं प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश रतलाम	सत्र खण्ड रतलाम	<ol style="list-style-type: none"> 1. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के साथ पाक्सो अधिनियम (योन अपराधों से बालकों का संरक्षण) 2012 से संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियों को छोड़कर) से संबंधित प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहिया 2. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका एवं जमानत आवेदन पत्र।
		रतलाम	<ol style="list-style-type: none"> 1. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये, पूर्व से दर्ज ट्रांसफर प्रकरण एवं सापत्तिक अपील एवं अन्य प्रकरण, पूर्व में निराकरण प्रकरणों की अनुषांगिक कार्यवाहियां
3	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश(पी.सी. एक्ट) रतलाम	सत्र खण्ड रतलाम	<ol style="list-style-type: none"> 1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहिया। 2. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका एवं जमानत आवेदन पत्र। 3. म.प्र. विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण व इससे संबंधित समस्त कार्यवाहिया।
		तहसील रतलाम, सैलाना, बाजना रतलाम, सैलाना (जावरा एवं आलोट को छोड़कर)	<ol style="list-style-type: none"> 1. मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत तहसील सैलाना के आरक्षी केंद्र सैलाना, सरवन एवं बाजना की सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त (मृत्यु से उद्भूत होने वाले क्लेम प्रकरणों को छोड़कर) क्लेम प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहिया। 2. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रत्येक मूल्य के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहिया तथा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 से संबंधित समस्त निष्पादन प्रकरण रुपये 3 लाख तक। (वाणिज्यिक विवाद अधिनियम 2018 के संशोधन के पश्चात तीन लाख रुपये से अधिक मूल्य के वाणिज्यिक विवाद की अधिकारिता वाणिज्यिक न्यायालय को प्रदान की गई है।) 3. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाली साम्प्रतिक नियमित एवं विविध अपीले। 4. अन्य विशेष विधि एवं स्थानीय विधि के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले व्यवहारिक प्रकरण।

4	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम एवं विशेष न्यायाधीश एन. डी.पी. एस. एक्ट रतलाम	सत्र खण्ड रतलाम/सैलाना	<ol style="list-style-type: none"> 1 अतिरिक्त विशेष न्यायालय जावरा एवं आलोट को दी गई अधिकारिता को छोड़कर रतलाम सत्र खण्ड से उद्भूत एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहियां। 2 राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 के अंतर्गत रतलाम जिले के प्रस्तुत होने वाले प्रकरण तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक कार्यवाहिया 3 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका एवं जमानत आवेदन पत्र।
		रतलाम, सैलाना (तहसील जावरा आलोट को छोड़कर)	<ol style="list-style-type: none"> 1. मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत रतलाम तहसील के आरक्षी केन्द्र, दीनदयाल नगर स्टेशन रोड एवं बिलपांक की सीमाओं के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त क्लेम प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। (मृत्यु से उद्भूत होने वाले क्लेम प्रकरणों को छोड़कर) 2 बाह्य न्यायालयों से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले जिला न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रवर्तन प्रकरण। 3 जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, साम्प्रतिक अपील एवं अन्य समस्त प्रकरण। 4 रतलाम मुख्यालय के व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध आदेश 43 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रस्तुत विविध अपीले एवं इनसे संबंधित अनुषांगिक कार्यवाहिया।
5	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम	सत्र खण्ड रतलाम/सैलाना	<ol style="list-style-type: none"> 1 मध्य प्रदेश निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण 2 घृणित एवं सनसनीखेज सत्र प्रकरण तथा इनसे संबंधित अनुसांगिक कार्यवाहियां 3. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका एवं जमानत आवेदन पत्र।
		रतलाम, सैलाना (तहसील जावरा आलोट को छोड़कर)	<ol style="list-style-type: none"> 1. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के पूर्व के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 2. मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत रतलाम तहसील के आरक्षी केन्द्र, नामली एवं शासकीय रेल्वे पुलिस रतलाम एवं औद्योगिक क्षेत्र रतलाम की सीमाओं के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त क्लेम प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक

			<p>कार्यवाहिया। (मृत्यु से उदभुत होने वाले क्लेम प्रकरणों को छोड़कर) एवं मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत रतलाम जिले के निवासी(जावरा एवं आलोट तहसील के निवासी को छोड़कर) जिनके साथ अन्य जिलों में घटित दुर्घटनाओं से उत्पन्न समस्त (मृत्यु से उदभुत होने वाले क्लेम प्रकरणों को छोड़कर) क्लेम प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहियां</p> <p>3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग-7 एवं भाग-9 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया।</p> <p>4 हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया।</p> <p>5 गार्जीयन एण्ड वार्डस एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया।</p> <p>6 जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, साम्प्रतिक अपील एवं अन्य समस्त प्रकरण।</p>
6	चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अनन्य विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम 2012, रतलाम	सत्र खंड रतलाम, सैलाना	<p>1 पास्को(POCSO)एक्ट 2012 से संबंधित आरक्षी केन्द्र स्टेशन रोड, जी.आर.पी., औद्योगिक क्षेत्र रतलाम, नामली,सैलाना, बाजना एवं महिला थाना से संबंधित प्रकरण एवं इस एक्ट से संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियां।</p> <p>2 पास्को(POCSO) एक्ट 2012 से संबंधित आरक्षी केन्द्र स्टेशन रोड, जी.आर.पी., औद्योगिक क्षेत्र रतलाम, नामली,सैलाना, बाजना एवं महिला थाना से संबंधित घृणित एवं सनसनीखेज सत्र प्रकरण एवं इनसे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियां</p> <p>3 अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के साथ पाक्सो अधिनियम(योन अपराधों से बालकों का संरक्षण) 2012 से संबंधित आरक्षी केन्द्र स्टेशन रोड, जी.आर.पी., औद्योगिक क्षेत्र रतलाम, नामली,सैलाना, बाजना, महिला थाना एवं तहसील जावरा एवं आलोट से संबंधित प्रकरण एवं इससे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियां।</p> <p>4 बालक न्यायालय से संबंधित समस्त कार्य एवं पूर्व में बालक न्यायालय के रूप में जिले में किसी भी निराकृत प्रकरण से संबंधित समस्त कार्यवाही।(सत्र खंड रतलाम,जावरा, आलोट सैलाना)</p> <p>5 अनियमित जमा योजना एक्ट 2019 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित</p>

			<p>किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका एवं जमानत आवेदन पत्र।</p>
7	<p>पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम एवं(महिलाओं के विरुद्ध रेप गैंगरेप, मर्डर वीथ रेप) रतलाम</p>	<p>सत्र खंड रतलाम</p>	<ol style="list-style-type: none"> माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश क्रमांक बी/2297 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध (रेप गैंगरेप, मर्डर वीथ रेप तथा इनसे संबंधित समस्त अन्य अपराध) अपराध से संबंधित सत्र प्रकरण एवं इनसे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियां सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका एवं जमानत आवेदन पत्र।
		<p>रतलाम, सैलाना</p> <p>रतलाम नगर निगम की सीमा एवं तहसील रतलाम के क्षेत्र को छोड़कर तहसील सैलाना</p> <p>तहसील रतलाम एवं सैलाना (रतलाम नगर निगम की सीमा को छोड़कर)</p>	<ol style="list-style-type: none"> मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत तहसील रतलाम के आरक्षी केंद्र माणकचौक, शिवगढ एवं रावटी की सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त (मृत्यु से उद्भूत होने वाले क्लेम प्रकरणों को छोड़कर) क्लेम प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत रिवीजन। म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 20 के अन्तर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिका। जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, साम्प्रतिक अपील एवं अन्य समस्त प्रकरण। हिन्दू विवाह अधिनियम एवं विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विवाह संबंधित विवाद के समस्त वाद पारिवारिक विवादों के प्रकरण तथा भारतीय तलाक अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया
8	<p>षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अनन्य विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम 2012, रतलाम एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम रतलाम</p>	<p>सत्र खंड रतलाम, सैलाना</p>	<ol style="list-style-type: none"> पास्को(POCSO) एक्ट 2012 से संबंधित आरक्षी केंद्र माणकचौक, डी.डी. नगर, बिलपांक, शिवगढ, रावटी एवं सरवन से संबंधित प्रकरण एवं इस एक्ट से संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियां। पास्को(POCSO) एक्ट 2012 से संबंधित आरक्षी केंद्र माणकचौक, डी.डी. नगर, बिलपांक, शिवगढ, रावटी एवं सरवन से संबंधित घृणित एवं सनसनीखेज सत्र प्रकरण एवं इनसे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियां अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के साथ पाक्सो अधिनियम(योन

		रतलाम, सैलाना (तहसील जावरा आलोट को छोड़कर)	अपराधों से बालकों का संरक्षण) 2012 से संबंधित आरक्षी केन्द्र माणकचौक, डी.डी. नगर, बिलपांक, शिवगढ, रावटी एवं सरवन से संबंधित प्रकरण एवं इससे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियां। 4 विद्युत अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकार का आपराधिक प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय हो। पूर्व में षष्ठम/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों की अनुसांगिक कार्यवाहियां 5 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका एवं जमानत आवेदन पत्र।
		रतलाम	1. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, साम्प्रतिक अपील एवं अन्य समस्त प्रकरण।
9	सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम रतलाम		रिक्त न्यायालय
10	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावरा		रिक्त
11	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) एवं विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा जिला रतलाम	सत्र खण्ड रतलाम तहसील जावरा तहसील जावरा तहसील जावरा	1. जावरा तहसील क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले विविध आपराधिक प्रकरण। 2. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 एवं 439 के अन्तर्गत आरक्षी केन्द्र, बड़ावदा, कालुखेडा एवं पिपलौदा, के प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र, विशेष अधिनियम को छोड़कर। 3. पुलिस थाना शहर जावरा का स्थानीय क्षेत्र, आरक्षी केन्द्र शहर जावरा, औद्योगिक क्षेत्र, जावरा, कालूखेड़ा, रिंगनोद, बड़ावदा तथा पिपलौदा एवं पुलिस थाना ताल से उद्भूत एन. डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 4. विद्युत अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय हो, एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 5. द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा एवं प्रथम एवं चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड जावरा के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की जाने वाली

			<p>आपराधिक अपीलें एवं रिवीजन</p> <p>6. घृणित एवं सनसनीखेज सत्र प्रकरण(लैगिंग शोषण से बालकों का संरक्षण अधिनियम को छोड़कर) एवं इससे संबंधित अनुसांगिक कार्यवाहियां</p> <p>7 मध्य प्रदेश निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण</p> <p>8. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका।</p>
		तहसील जावरा	<p>1 जावरा तहसील के रूपये 1,00,00,000/- (रु. एक करोड़) से अधिक के सांपत्तिक वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही।(दिनांक 01.04.2024 से 30.06.2024 एवं 01.10.2024 से 31.12.2024)</p> <p>2. मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत तहसील जावरा के आरक्षी केंद्र पिपलौदा, कालूखेडा एवं बड़ावदा पुलिस थाना की सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण एवं जो तहसील जावरा के निवासी होकर जिनके साथ अन्य जिलों में घटित दुर्घटना से उत्पन्न समस्त प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया।</p> <p>3. हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विवाह संबंधी विवादों के प्रकरण तथा भारतीय तलाक अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>4. हिन्दु एडाप्शन एवं मेन्टेनेन्स एक्ट 1986 के प्रकरण एवं गार्जीयन एवं वार्ड्स एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया।</p> <p>5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग-7 एवं भाग-9 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया।</p> <p>6. भारतीय सक्सेशन एक्ट के भाग-10 के अन्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर, 1987 तक के लंबित आवेदन पत्र में दिये गये आदेश के विरुद्ध अपीलें।</p> <p>7 स्थानीय एवं विशेष विधि के अंतर्गत प्रस्तुत दिवानी एवं विविध अपीलें एवं अन्य प्रकरण।</p> <p>8. मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 20 के अंतर्गत चुनाव याचिकाएँ या रिवीजन।</p> <p>9 इनसाल्वेंसी एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक</p>

		जावरा (तहसील रतलाम, सैलाना आलोट को छोड़कर)	<p>कार्यवाहिया।</p> <p>10 अनुविभागीय मजिस्ट्रेट के न्यायालय से उत्पन्न समस्त पुनरीक्षण एवं आपराधिक अपीलें एवं सिविल न्यायालय को वेष्टित कार्यवाहियों।</p> <p>11. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रत्येक मूल्य के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाहियों को छोड़कर मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 से संबंधित समस्त निष्पादन प्रकरण रुपये 3 लाख तक। (वाणिज्यिक विवाद अधिनियम 2018 के संशोधन के पश्चात तीन लाख रुपये से अधिक मूल्य के वाणिज्यिक विवाद की अधिकारिता वाणिज्यिक न्यायालय को प्रदान की गई है।)</p> <p>12. जावरा में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं कनिष्ठ खंड, द्वारा पारित निर्णय डिक्री एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपीलें तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। (दिनांक 01.01.2024 से 31.03.2024 एवं 01.07.2024 से 30.09.2024)</p> <p>13. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, साम्प्रतिक अपील एवं अन्य समस्त प्रकरण।</p>
12	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावरा के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश जावरा	सत्र खण्ड रतलाम तहसील जावरा	<p>1 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका।</p> <p>2 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 एवं 439 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र औद्योगिक क्षेत्र जावरा, रिंगनोद एवं जावरा शहर(सिटी), आबकारी वृत्त तहसील जावरा के प्रस्तुत होने वाले समस्त (सभी प्रकार के) आवेदन पत्र, विशेष अधिनियम को छोड़कर।</p> <p>3. पास्को(POCSO) एक्ट 2012 से संबंधित प्रकरण एवं इस एक्ट से संबंधित अनुसांगिक कार्यवाहियां।</p> <p>4. पास्को(POCSO) एक्ट 2012 से संबंधित घृणित एवं सनसनीखेज सत्र प्रकरण व अंतरित जमानत आवेदन पत्र सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका एवं जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>5 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय जावरा, द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड जावरा के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की जाने वाली आपराधिक अपीले एवं रिवीजन।</p>

		तहसील जावरा	<ol style="list-style-type: none"> 1 जावरा तहसील के रूपये 1,00,00,000/- (रु. एक करोड़) से अधिक के सांपत्तिक वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही।(दिनांक 01.01.2024 से 31.03.2024 एवं 01.07.2024 से 30.09.2024) 2 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत तहसील जावरा के आरक्षी केंद्र, औद्योगिक क्षेत्र जावरा, रिंगनोद एवं जावरा शहर पुलिस थाना की सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 2 लघुवाद न्यायालय के अंतर्गत रूपये 500/- पांच सौ से अधिक एवं रूपये 1000/- एक हजार तक के लघुवाद प्रकरण जिनकी सुनवाई धारा 9 सिविल कोर्ट के अंतर्गत अधिकृत तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 3 रूपये 20,000/- बीस हजार तक के दिवालीये प्रकरण जो दिनांक 31.12.1987 तक व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 जावरा के न्यायालय में विचाराधीन हो उनमें दिये गये आदेश के विरुद्ध अपीलें तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 4 भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 5 जावरा में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं कनिष्ठ खंड, द्वारा पारित निर्णय डिक्री एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपीलें तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया।(दिनांक 01.04.2024 से 30.06.2024 एवं 01.10.2024 से 31.12.2024) 6 बाह्य न्यायालयों से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले अपर जिला न्यायाधीश जावरा के क्षेत्राधिकार से सम्बंधित प्रवर्तन प्रकरण। 7 मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण विधान के अंतर्गत उत्पन्न अपीले एवं अन्य कार्यवाहिया। 8 जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, सांपत्तिक अपील एवं अन्य प्रकरण।
13	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोट	सत्र खण्ड,रतलाम तहसील आलोट	रिक्त न्यायालय

14	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोट के न्यायालय के अति न्यायाधीश आलोट एवं विशेष न्यायाधीश(एनडीपीएसएक्ट) रतलाम	सत्र खण्ड, रतलाम तहसील आलोट	<ol style="list-style-type: none"> 1 समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं कनिष्ठ खंड, आलोट के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की जाने वाली आपराधिक अपील एवं रिवीजन । 2. थाना आलोट एवं बरखेडा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले विविध आपराधिक प्रकरण । 3 थाना आलोट, बरखेडा, ताल एवं आबकारी वृत्त तहसील आलोट क्षेत्र से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 एवं 439 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र विशेष अधिनियम को छोड़कर 4. पास्को(POCSO) एक्ट 2012 से संबंधित प्रकरण एवं इस एक्ट से संबंधित अनुसांगिक कार्यवाहियां । 5 पास्को (POCSO) एक्ट 2012 से संबंधित घृणित एवं सनसनीखेज सत्र प्रकरण व अंतरित जमानत आवेदन पत्र सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका एवं जमानत आवेदन पत्र । 6 मध्य प्रदेश निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण 7 घृणित एवं सनसनीखेज सत्र प्रकरण(लैंगिंग शोषण से बालकों का संरक्षण अधिनियम को छोड़कर) एवं इससे संबंधित अनुसांगिक कार्यवाहियां 8. पुलिस थाना ताल, आलोट एवं बरखेडा से उद्भूत एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही । 9 विद्युत अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकार का आपराधिक प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय हो । 10 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका ।
		तहसील आलोट	<ol style="list-style-type: none"> 1. आलोट तहसील के रूपये 1,00,00,000/- (रु. एक करोड़) से अधिक के सांपत्तिक वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही । 2. मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आलोट, बरखेडा, ताल के पुलिस थाना की सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण एवं जो तहसील आलोट एवं ताल के निवासी होकर जिनके साथ अन्य जिलों में घटित दुर्घटना से उत्पन्न समस्त प्रकरण तथा उनसे

		<p>आलोट (तहसील रतलाम, सैलाना, जावरा को छोडकर)</p>	<p>उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. आलोट में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं कनिष्ठ खंड द्वारा पारित निर्णय डिक्री एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित अपीलें एवं विविध अपीलें तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 4. स्थानीय एवं विशेष विधि के अंतर्गत प्रस्तुत दिवानी एवं विविध अपीलें एवं अन्य प्रकरण। 5. मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 20 के अंतर्गत चुनाव याचिकाएँ या रिवीजन। 6. इनसाल्वेंसी एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 7. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण विधान के अंतर्गत उत्पन्न अपीले एवं अन्य कार्यवाहिया। 8. अनुविभागीय मजिस्ट्रेट के न्यायालय से उत्पन्न समस्त पुनरीक्षण एवं आपराधिक अपीलें एवं सिविल न्यायालय को वेष्टित कार्यवाहियाँ। 9. बाह्य न्यायालयों से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले अपर जिला न्यायाधीश आलोट के क्षेत्राधिकार से सम्बंधित प्रवर्तन प्रकरण। 10. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 11. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रत्येक मूल्य के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाहियों को छोडकर मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 से संबंधित समस्त निष्पादन प्रकरण रूपये 3 लाख तक। (वाणिज्यिक विवाद अधिनियम 2018 के संशोधन के पश्चात तीन लाख रूपये से अधिक मूल्य के वाणिज्यिक विवाद की अधिकारिता वाणिज्यिक न्यायालय को प्रदान की गई है।) 12. हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विवाह संबंधी विवादों के प्रकरण तथा भारतीय तलाक अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 13. हिन्दू एडाप्शन एवं मेन्टेनेन्स एक्ट 1986 के प्रकरण एवं गार्जीयन एवं वार्डस एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 14. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग-7 एवं भाग-9 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया।
--	--	---	--

			<p>15 भारतीय सक्सेशन एक्ट के भाग-10 के अन्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर, 1987 तक के लंबित आवेदन पत्र में दिये गये आदेश के विरुद्ध अपीलें।</p> <p>16. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, साम्प्रतिक अपील एवं अन्य समस्त प्रकरण।</p>
15	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं मुख्य न्यायिक दण्डा.रतलाम	तहसील रतलाम	<p>1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर भेजी जाने वाली आपराधिक अपीलें।</p> <p>2. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 एवं 172 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें।</p>
		तहसील रतलाम	<p>1. रुपये 75,00,001 से 1,00,00,000 (पिचोत्तर लाख एक से एक करोड़) तक के सांप्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही।</p> <p>2. एक रुपये से अधिक एवं रुपये 500/- (पांच सौ) तक के लघुवाद प्रकरण जिनकी सुनवाई हेतु सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अन्तर्गत अधिकृत।</p> <p>3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व से लंबित प्रकरणों का निराकरण इसी न्यायालय द्वारा किया जावेगा।</p> <p>4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहियां।</p> <p>5. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>
16	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं ग्राम न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय रतलाम	तहसील रतलाम	<p>1. रुपये 50,00,001 से 75,00,000 (पचास लाख एक से पिचोत्तर लाख) तक के सांप्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही।</p> <p>2. बाह्य न्यायालयों से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रवर्तन प्रकरण।</p> <p>3. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>
17	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम	तहसील रतलाम	<p>1. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>
18	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम एवं प्रिसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड रतलाम		<p>1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>
19	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम एवं न्यायिक		<p>1. रुपये 25,00,001 से 50,00,000 (पच्चीस लाख एक से पचास लाख) तक के सांप्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे</p>

	मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रतलाम		संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2 प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
20	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, रतलाम	तहसील सैलाना /बाजना	1 रूपये 5,00,001/- से रूपये 1,00,00,000/- (रु पाँच लाख एक से एक करोड़ रु.) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 3 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। 4 500/- (पाँच सौ) तक के लघुवाद जिनकी सुनवाई हेतु सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अन्तर्गत अधिकृत। 5 बाह्य न्यायालयों से प्राप्त होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सैलाना के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रवर्तन प्रकरण। 6 जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
21	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, रतलाम एवं स्पे. रेल्वे मजिस्ट्रेट, रतलाम	तहसील रतलाम	1 विशेष रेल्वे आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु पदस्थ हैं। 2 जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
20ए	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम के अतिरिक्त न्यायाधीश रतलाम	तहसील रतलाम	1 रूपये 05,00,001 से 25,00,000 (पाँच लाख एक से पच्चीस लाख) तक के सांप्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2 प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
21	प्रथम व्य. न्या. कनिष्ठ खंड एवं न्या.मजि. प्र. श्रेणी रतलाम	तहसील रतलाम	1. रूपये 2,50,001/- से 5,00,000/- (रु. दो लाख पचास हजार एक से पाँच लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. रु 1/- से 50,000/- (रु एक से पचास हजार) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के 01 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 एवं 01 अक्टूबर 24 से 31 दिसम्बर 2024 तक 3. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
22	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी		---रिक्त पद---

	रतलाम		
24	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रतलाम		---रिक्त पद---
23	चतुर्थ व्य.न्या. कनिष्ठ खंड, एवं न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी, रतलाम	तहसील रतलाम	<ol style="list-style-type: none"> 1. रुपये 50,001/- से 2,50,000/- (रु. पचास हजार एक से दो लाख पचास हजार) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. बाह्य न्यायालयों से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रवर्तन प्रकरण। 3. रु 1/- से 50,000/- (रु एक से पचास हजार) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के 01 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 एवं 01 जुलाई 2024 से 30 सितम्बर 2024 तक 4. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
26	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रतलाम		रिक्त
27	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी रतलाम		रिक्त
28	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं ग्राम न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय जावरा	तहसील जावरा	<ol style="list-style-type: none"> 1. रुपये 70,00,001 से 1,00,00,000 (सत्तर लाख एक से एक करोड़) तक के सांप्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 एवं 172 के अन्तर्गत। 3. दिवालिया एक्ट, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के पूर्व से लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। 4. भारतीय सक्सेशन एक्ट के भाग 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र 5. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
29	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी जावरा	तहसील जावरा	<ol style="list-style-type: none"> 1. 05,00,001 से 70,00,000 (पांच लाख एक से सत्तर लाख) तक के सांप्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. रुपये 500/- (पांच सौ) तक के लघुवाद जो

			<p>सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अधीन अधिकृत।</p> <p>3. बाह्य न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रवर्तन प्रकरण।</p> <p>4. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>
30	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी जावरा	तहसील जावरा	रिक्त न्यायालय
31	चतुर्थ व्यव. न्या. वरि. खंड एवं न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी जावरा	तहसील जावरा	पद रिक्त
32	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जावरा	तहसील जावरा	<p>1. रुपये 3,50,001/- से 5,00,000/- (रु. तीन लाख पचास हजार एक से पांच लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही।</p> <p>2. रु 1/- से 50,000/- (रु एक से पचास हजार) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के 01 जनवरी 2024 से 31 अप्रैल 2024)</p> <p>3. बाह्य न्याय. से प्राप्त होने वाले व्य. न्याया. वर्ग-2 जावरा के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रवर्तन प्रकरण।</p> <p>4. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>
33	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जावरा	तहसील जावरा	<p>1. रुपये 50,001/- से रुपये 2,00,000/- (रु पचास हजार एक रुपये से दो लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही।</p> <p>2. रु 1/- से 50,000/- (रु एक से पचास हजार) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के 1 मई 2024 से 31 अगस्त 2024(04 माह)</p> <p>3. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>
34	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जावरा		<p>1. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>
35	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट	तहसील जावरा	<p>1 रुपये 2,00,001/- से रुपये 3,50,000/- (रु दो लाख एक से तीन लाख पचास हजार लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित</p>

	प्रथम श्रेणी जावरा		निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. रू 1/- से 50,000/- (रू एक से पचास हजार) तक के साम्पत्तिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के 01 सितम्बर 2024 से 31 दिसम्बर 2024(04 माह) 3. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
36	व्य. न्या. वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी आलोट	तहसील आलोट	1. रूपये 5,00,001/- से रूपये 50,00,000/- (रू पांच लाख एक से पचास लाख रू.) तक के साम्पत्तिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 11. 500/- (पाँच सौ) तक के लघुवाद जिनकी सुनवाई हेतु सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अन्तर्गत अधिकृत। 12. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
37	व्य. न्या. वरिष्ठ खंड आलोट के अति न्यायाधीश आलोट एवं न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी आलोट		1. रूपये 50,00,001/- से रूपये 1,00,00,000/- (रू पचास लाख एक से एक करोड़ रू.) तक के साम्पत्तिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. बाह्य न्यायालयों से प्राप्त होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आलोट के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रवर्तन प्रकरण 3. भारतीय सक्सेशन एक्ट के भाग 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र 4. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
38	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड आलोट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	तहसील आलोट	1. रूपये 50,001/-से 2,50,000/- (रू पचास हजार एक से दो लाख पचास हजार) तक के साम्पत्तिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. रू 1/- से 50,000/- (रू एक से पचास हजार) तक के साम्पत्तिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद (01 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 एवं 01 जून से 31 अगस्त 2024) 3. बाह्य न्यायालयों से प्राप्त होने वाले व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड आलोट के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रवर्तन प्रकरण 4. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
39	द्वितीय व्यवहार	तहसील आलोट	1. रूपये 2,50,001/-से 5,00,000/- (रू दो

	न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आलोट		लाख पचास हजार एक रूपये से पांच लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. रू 1/- से 50,000/- (रू एक से पचास हजार) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद (01 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 एवं 01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2024) 3. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
40	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आलोट	तहसील आलोट	रिक्त न्यायालय
41	प्रथम व्य. न्या. वरिष्ठ खंड सैलाना एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना		रिक्त
42	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना	तहसील सैलाना	1. रूपये 50,001/- से 2,00,000/- (रू. पचास हजार एक से दो लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. रू 1/- से 50,000/- (रू एक से पचास हजार) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के 1 सितम्बर 2024 से 31 दिसम्बर 2024(04 माह) 3. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
43	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सैलाना के अति न्यायाधीश सैलाना	तहसील सैलाना/बाजना	1. रूपये 2,00,001/- से 3,50,000/- (रू. दो लाख एक से तीन लाख पचास हजार) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2 1/- से 50,000/- (रू एक से पचास हजार) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के 01 जनवरी 2024 से 30 अप्रैल 2024 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
44	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सैलाना एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना	तहसील सैलाना, बाजना	1. रूपये 3,50,001/- से रूपये 5,00,000/- (रू तीन लाख पचास हजार एक रूपये से पांच लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही।

मजिस्ट्रेट		<p>2. रू 1/- से 50,000/- (रू एक से पचास हजार) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के 1 मई 2024 से 31 अगस्त 2024 तक(04 माह)</p> <p>3. बाह्य न्यायालयों से प्राप्त होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सैलाना के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रवर्तन प्रकरण</p> <p>4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>
------------	--	---

नोट :-

1. पूर्व से लंबित प्रकरणों पर इस कार्य विभाजन आदेश का प्रभाव नहीं होगा एवं यथावत उन्ही न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निराकृत किये जावेंगे।
2. विशेष न्यायाधीश(अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण) अधिनियम का पद रिक्त होने की दशा में उनके न्यायालय के पूर्व एवं वर्तमान के अत्यावश्यक आवेदन पत्र का निराकरण जिला स्थापना के वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा किया जायेगा और सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा कार्यवाही किये जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है। इसके साथ ही जिस अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन में कार्यवाही की जावेगी। उन्हे पीठासीन अधिकारी समझा जायेगा।
3. विशेष न्यायाधीश(एनडीपीएस एक्ट 1985) का पद रिक्त होने की दशा में उनके न्यायालय के पूर्व एवं वर्तमान के अत्यावश्यक आवेदन पत्र का निराकरण जिला स्थापना के वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अधिसूचित किया जाता है। इसके साथ ही जिस अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन में कार्यवाही की जावेगी। उन्हे पीठासीन अधिकारी समझा जायेगा।
4. सदस्य, मोटर दावा अधिकरण अथवा अतिरिक्त सदस्य, मोटर दावा अधिकरण के लगातार एक सप्ताह के अवकाश पर होने या अनुपस्थित रहने की स्थिति में संबंधित अधिकरण में जमा क्लेम धनराशि का भुगतान 'आवश्यक कार्य' की श्रेणी में मानते हुए संबंधित प्रभार वाले पीठासीन अधिकारी द्वारा निपटारये जाएंगे।
5. रतलाम व्यवहार जिले में पदस्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश अथवा अन्य प्रकार से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य आपत्तियाँ एवं अंतरवर्तीय मामलें आदि उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए न्यायाधीशों द्वारा निपटार जावेंगे :-

A	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम	विशेष न्यायाधीश एवं उनकी अनुपस्थिति में चतुर्थ(स्थापना पर वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश)/ प्रथम/ द्वितीय/ पंचम/ तृतीय/ षष्ठम/जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
B	विशेष न्यायाधीश रतलाम	चतुर्थ(स्थापना पर वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश) /द्वितीय/ /प्रथम/पंचम/तृतीय/षष्ठम/जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम एवं सभी की अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
C	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम	द्वितीय/चतुर्थ/पंचम/तृतीय/षष्ठम/जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम एवं सभी की अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
D	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम	प्रथम/तृतीय/षष्ठम/पंचम/चतुर्थ/विशेष न्यायाधीश एवं सभी की अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
E	तृतीय जिला एवं	पंचम/षष्ठम/द्वितीय/प्रथम/चतुर्थ/विशेष न्यायाधीश एवं सभी की

	अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम	अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
F	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम	षष्ठम्/तृतीय/द्वितीय/पंचम/प्रथम/विशेष न्यायाधीश एवं सभी की अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
G	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम	तृतीय/षष्ठम्/द्वितीय/चतुर्थ/प्रथम/विशेष न्यायाधीश एवं सभी की अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
H	षष्ठम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम	चतुर्थ/तृतीय/द्वितीय/पंचम/प्रथम/विशेष न्यायाधीश एवं सभी की अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
I	द्वितीय अपर जिला एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधि. जावरा	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावरा के प्रथम अति. न्याय. जावरा एवं उनकी अनुपस्थिति में तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम्/प्रथम/द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम/ विशेष न्यायाधीश रतलाम एवं सभी की अनुपस्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
J	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावरा के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश जावरा	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावरा एवं उनकी अनुपस्थिति में चतुर्थ/पंचम/षष्ठम्/ प्रथम/द्वितीय/तृतीय/जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम/ विशेष न्यायाधीश रतलाम एवं सभी की अनुपस्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
K	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोट के अति. न्यायाधीश	प्रथम अति/ द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावरा एवं उनकी अनुपस्थिति में षष्ठम्/ प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम, तथा उनकी अनुपस्थिति में प्रथम/द्वितीय/चतुर्थ/तृतीय/पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम, तथा उनकी अनुपस्थिति में विशेष न्यायाधीश तथा सभी की अनुपस्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।

6. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने अथवा अन्य प्रकार से अनुपस्थित होने की स्थिति में जिस अपराध कमांक के जमानत आवेदन पत्र के संबंध में जिस अधिकारी द्वारा पूर्व में जमानत आवेदन पत्र का निराकरण किया है उसी अधिकारी के यहाँ पश्चातवर्ती जमानत आवेदन पत्र पेश होने पर स्वमेव ही अंतरित माना जावेगा।
7. तहसील न्यायालय जावरा एवं आलोट पर पदस्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश में से जिस अधिकारी द्वारा पूर्व में जिस अपराध कमांक के जमानत आवेदन पत्र के संबंध में निराकरण किया गया है उसी अधिकारी के यहाँ पश्चातवर्ती जमानत आवेदन पत्र पेश होने पर स्वमेव ही अंतरित माना जावेगा।
8. मुख्यालय पर पदस्थ समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश अथवा अन्य प्रकार से अनुपस्थित रहने पर उक्त न्यायालयों का आवश्यक प्रभार प्रथम/द्वितीय/ अपर जिला न्यायाधीश जावरा/आलोट के पास रहेगा।
9. विशेष न्यायाधीश – विशेष सत्र प्रकरण (अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण) अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरण, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के प्रकरणों का प्रभार नोट कमांक 04 के अनुसार ही रहेगा।

10. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों में जिला मुख्यालय के समस्त स्थानीय थानों का प्रथम रिमान्ड अनन्य विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी एक्ट) रतलाम के न्यायालय में प्रस्तुत करेगे उनके अवकाश या अन्य कारण से अनुपस्थित रहने की स्थिति में संबंधित स्थानीय थाने के अधिकृत मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रथम रिमान्ड की कार्यवाही संपादित की जावेगी। इसी प्रकार तहसील न्यायालयों में प्रस्तुत अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में प्रथम रिमान्ड संबंधित थानों के अधिकृत मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही संपादित की जावेगी। तथा उनकी अनुपस्थिति में उनके इंचार्ज मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी।
11. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश, जावरा के अवकाश एवं अन्य प्रकार से अनुपस्थित रहने की स्थिति में एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरणों का कार्य उनके न्यायालय के उपस्थित प्रभारी अधिकारी द्वारा संपादित किया जावेगा।
12. विशेष न्यायाधीश, प्रथम,द्वितीय,तृतीय,चतुर्थ,पंचम,षष्ठम एवं सप्तम जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में प्रधान सत्र न्यायाधीश रतलाम द्वारा आवश्यक आपराधिक कार्य की सुनवायी की जावेगी तथा सभी की अनुपस्थिति में समस्त आवश्यक आपराधिक कार्य की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जावरा एवं उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावरा एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावरा के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश जावरा एवं उनकी अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोट के द्वारा तथा उनकी अनुपस्थिति में प्रथम अति. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोट तथा उनकी अनुपस्थिति में जिले में पदस्थ समस्त अपर सत्र न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 10 (3) के अन्तर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक कार्य निपटाया जावेगा।
13. जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम के अवकाश पर रहने के दौरान अत्यावश्यक आपराधिक कार्य हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 10(2) के अन्तर्गत मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम द्वारा किया जावेगा।
14. रतलाम व्यवहार जिले में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं कनिष्ठ खंड के अवकाश अथवा अन्य प्रकार से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके न्यायालय से आपत्ति/अंतरवर्तीय मामले आदि आवश्यक कार्यवाही निम्न न्यायाधीशों के समक्ष दर्शाए गए न्यायाधीशों द्वारा निपटाये जायेंगे :-


A	प्रथम व्यवहार न्या. वरिष्ठ खंड, रतलाम	द्वितीय/ पंचम/षष्ठम/अति./ तृतीय/ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में व्यवहार न्याय. वरिष्ठ खंड, जावरा/ द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा
B	द्वितीय व्यवहार न्या. वरिष्ठ खंड, रतलाम	पंचम/षष्ठम/अति./प्रथम/ तृतीय/ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में व्यवहार न्याय. वरिष्ठ खंड, जावरा/ द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा
C	तृतीय व्यवहार न्या. वरिष्ठ खंड, रतलाम	पंचम/षष्ठम/अति./प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंडरतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में व्यवहार न्याय. वरिष्ठ खंड, जावरा/ द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा
D	चतुर्थ व्यवहार न्या. वरिष्ठ खंड, रतलाम एवं प्रिसिपल मजिस्ट्रेट, किषोर न्याय बोर्ड, रतलाम	नोट क्रमांक 16 अनुसार
E	पंचम व्यवहार न्या. वरिष्ठ खंड, रतलाम	षष्ठम/अति./प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में व्यवहार न्याय. वरिष्ठ खंड, जावरा/ द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा

	रतलाम	खंड रतलाम एवं सभी की अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम
X3	प्रथम व्य.न्याया.कनिष्ठ रतलाम के न्या. के तृतीय अति. न्याया.(प्रशिक्षू) रतलाम	चतुर्थ अतिरिक्त/पंचम अतिरिक्त /षष्ठम अतिरिक्त /सप्तम अतिरिक्त/प्रथम अतिरिक्त/द्वितीय अतिरिक्त प्रशिक्षू न्यायाधीश रतलाम एवं उनकी अनुपस्थिति में चतुर्थ/ प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम एवं सभी की अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम
X4	प्रथम व्य.न्याया.कनिष्ठ रतलाम के न्या. के चतुर्थ अति. न्याया.(प्रशिक्षू) रतलाम	पंचम अतिरिक्त /षष्ठम अतिरिक्त /सप्तम अतिरिक्त/प्रथम अतिरिक्त/द्वितीय अतिरिक्त/तृतीय अतिरिक्त प्रशिक्षू न्यायाधीश रतलाम एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रथम/द्वितीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम एवं सभी की अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम
X5	प्रथम व्य.न्याया.कनिष्ठ रतलाम के न्या. के पंचम अति. न्याया.(प्रशिक्षू) रतलाम	षष्ठम अतिरिक्त /सप्तम अतिरिक्त/प्रथम अतिरिक्त/द्वितीय अतिरिक्त/तृतीय अतिरिक्त/चतुर्थ अतिरिक्त प्रशिक्षू न्यायाधीश रतलाम एवं उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय/चतुर्थ/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम एवं सभी की अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम
X6	प्रथम व्य.न्याया.कनिष्ठ रतलाम के न्या. के षष्ठम अति. न्याया.(प्रशिक्षू) रतलाम	सप्तम अतिरिक्त/प्रथम अतिरिक्त/द्वितीय अतिरिक्त/तृतीय अतिरिक्त/चतुर्थ अतिरिक्त/पंचम अतिरिक्त प्रशिक्षू न्यायाधीश रतलाम एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रथम/द्वितीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम एवं सभी की अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम
X7	प्रथम व्य.न्याया.कनिष्ठ रतलाम के न्या. के सप्तम अति. न्याया.(प्रशिक्षू) रतलाम	प्रथम अतिरिक्त/द्वितीय अतिरिक्त/तृतीय अतिरिक्त/चतुर्थ अतिरिक्त/पंचम अतिरिक्त/षष्ठम अतिरिक्त प्रशिक्षू न्यायाधीश रतलाम एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रथम/द्वितीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम एवं सभी की अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम

15. रजिस्ट्री जबलपुर द्वारा सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम को रेल्वे मजिस्ट्रेट रतलाम के पद पर अधिकृत किये जाने के फलस्वरूप सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम के न्यायालय से संबंधित समस्त साम्प्रतिक प्रकरणों का आवश्यक कार्य उच्च न्यायालय अथवा अन्य अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों तथा प्राप्त होने वाले प्रकरणों की सुनवाई एवं अन्य कार्यवाही हेतु षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम को उक्त कार्य की व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जाता है साथ ही यदि किसी प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर उसमें सुनवाई की जाना है तो ऐसे प्रकरण स्वमेव ही षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम के न्यायालय में अंतरित हुए माने जावेंगे तथा उनका विधिवत निराकरण एवं कार्यवाही षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम के द्वारा की जावेगी।
16. चतुर्थ/षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पाक्सो अधिनियम के प्रकरणों हेतु अनन्य विशेष न्यायाधीश अधिकृत किये जाने के फलस्वरूप उक्त न्यायालय से संबंधित समस्त साम्प्रतिक प्रकरणों का आवश्यक कार्य उच्च न्यायालय अथवा अन्य अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों तथा प्राप्त होने वाले प्रकरणों की सुनवाई एवं अन्य कार्यवाही हेतु प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम को उक्त कार्य की व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जाता है साथ ही यदि किसी प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर उसमें सुनवाई की जाना है तो ऐसे प्रकरण स्वमेव ही प्रथम

न्यायालय में अंतरित हुए माने जावेंगे तथा उनका विधिवत निराकरण एवं कार्यवाही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आलोट के द्वारा की जावेगी ।

52. तहसील आलोट पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खंड के रिक्त न्यायालयों का प्रभार (जिनका उल्लेख कार्यविभाजन आदेश में नहीं किया गया है) जो वर्तमान में रिक्त है उन न्यायालयों का आवश्यक कार्य उच्च न्यायालय अथवा अन्य अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों तथा प्राप्त होने वाले प्रकरणों की सुनवाई एवं अन्य कार्यवाही हेतु व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आलोट तथा उनकी अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आलोट के अति न्यायाधीश आलोट को उक्त कार्य की व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जाता है साथ ही यदि किसी प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर उसमें सुनवाई की जाना है तो ऐसे प्रकरण स्वमेव ही व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आलोट के न्यायालय में अंतरित हुए माने जावेंगे तथा उनका विधिवत निराकरण एवं कार्यवाही व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आलोट के द्वारा की जावेगी ।
53. तहसील सैलाना पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ के रिक्त न्यायालयों का प्रभार (जिनका उल्लेख कार्यविभाजन आदेश में नहीं किया गया है) जो वर्तमान में रिक्त है उन न्यायालयों का आवश्यक कार्य उच्च न्यायालय अथवा अन्य अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों तथा प्राप्त होने वाले प्रकरणों की सुनवाई एवं अन्य कार्यवाही हेतु षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम को उक्त कार्य की व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जाता है साथ ही यदि किसी प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर उसमें सुनवाई की जाना है तो ऐसे प्रकरण स्वमेव ही षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम के न्यायालय में अंतरित हुए माने जावेंगे तथा उनका विधिवत निराकरण एवं कार्यवाही षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम के द्वारा की जावेगी ।
54. तहसील सैलाना पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ के रिक्त न्यायालयों का प्रभार (जिनका उल्लेख कार्यविभाजन आदेश में नहीं किया गया है) जो वर्तमान में रिक्त है उन न्यायालयों का आवश्यक कार्य उच्च न्यायालय अथवा अन्य अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों तथा प्राप्त होने वाले प्रकरणों की सुनवाई एवं अन्य कार्यवाही हेतु प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सैलाना तथा उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सैलाना को उक्त कार्य की व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जाता है साथ ही यदि किसी प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर उसमें सुनवाई की जाना है तो ऐसे प्रकरण स्वमेव ही प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सैलाना के न्यायालय में अंतरित हुए माने जावेंगे तथा उनका विधिवत निराकरण एवं कार्यवाही प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सैलाना के द्वारा की जावेगी ।
55. मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 के अध्याय 5 के नियम 21 (4) के अधीन दीर्घावकाश के (वेकेशन) के दौरान अति आवश्यक सिविल मामलों के निपटारे हेतु संबंधित न्यायालय के न्यायाधीशों को तथा उनकी अनुपस्थिति में जिन न्यायाधीश के पास कार्य भार रहेगा उन्हें सिविल मामलों के निपटारे हेतु अधिकृत किया जाता है ।
56. इस कार्य विभाजन पत्रक में दर्शाए गए कार्य विभाजन के अतिरिक्त यदि कोई कार्य विभाजन पत्रक संबंधी त्रुटि अथवा कमी रह जाती है तो उक्त व्यवस्था पूर्व कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार यथावत लागू रहेगी ।



21/12/24
(राकेश मोहन प्रधान)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रतलाम (म.प्र.)

कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम (म.प्र.)

पृ. क्रमांक : 0) /दो-2-1/2012-23
प्रतिलिपि :-

रतलाम, दिनांक 02.01.2024

- 1- रजिस्ट्रार जनरल, महोदय, म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर।
- 2- प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की ओर माननीय पोर्टफोलियो महोदय(रतलाम) के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु ।
- 3- विशेष न्यायाधीश , रतलाम
- 4- समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम/जावरा/आलोट/सैलाना
- 5- समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम/जावरा/आलोट/सैलाना
- 6- प्रस्तुतकार प्रधान जिला न्यायालय रतलाम.
- 7- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ रतलाम/जावरा/सैलाना/आलोट
- 8- जिला अभियोजन अधिकारी, रतलाम
- 9- प्रशासनिक अधिकारी/लेखापाल/सहा. लेखापाल/सांख्यिकी अनुभाग/ तिलबाना अनुविभाग/ जिला न्यायालय रतलाम / आलोट /सैलाना की ओर सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


21/1/24
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रतलाम (म.प्र.)